पत्रांक– 06/वि० 09–263/2024.....144

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 03/11/2026

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में 7,08,27,000/– (सात करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं 4,60,37,550/–(चार करोड़ साठ लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र की तत्काल विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

द्वारा :– **वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के नौ प्रमंडलों–पटना, दरभंगा, मगध, भागलपुर, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, कोशी एवं मुंगेर में बच्चों के पढ़ाई के अलावे नृत्य, वैज्ञानिक नवीकरण, शोध कार्य, खेल, फिल्म निर्माण, साहित्य जैसे क्षेत्र में बच्चों को अग्रणी बनाने के लिए बिहार बाल भवन 'किलकारी' का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुछ अन्य कार्य योजनाओं में बाल नवाचार पर कार्य बाल भवन में चल रहे प्रशिक्षण का बच्चों पर प्रभाव को लेकर कार्य मूल्यांकन, डिजिटल लैब को समृद्ध बनाने का कार्य के साथ–साथ ऑडियो, विजुअल सामग्रियों की व्यवस्था, प्रकाशन (नाटक, नृत्य, संगीत से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रकाशन), गुल्लक बच्चा बैंक का संचालन इत्यादि कार्यक्रम को शामिल किया गया है तथा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बिहार बाल भवन किलकारी में पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा ली जा रही है। तत्पश्चात् इनके मानदेय का भुगतान भी किया जाना है।

2. निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार बाल भवन 'किलकारी' में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों तथा बच्चों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में 7,08,27,000/– (सात करोड़ आठ लाख सत्ताईस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं 4,60,37,550/–(चार करोड़ साठ लाख सैंतीस हजार पाँच सौ पचास रूपये) मात्र की तत्काल विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, बिहार बाल भवन 'किलकारी' योजना के अंतर्गत होने वाले उक्त राशि के व्यय का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष--01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु

शीर्ष–001 निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0004 बिहार बाल भवन 'किलकारी' को अनुदान, विपत्र कोड–21–2202010010004 के विषय शीर्ष–0004–31–04 सहायक अनुदान वेतन मद से व्यय का विकलन किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से किया जायेगा तथा निम्नलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृत राशि बिहार बालभवन 'किलकारी' के संबंधित खाते में CFMS Mode द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा :–

Sl	Budget Code	Subject Head	Grant from Bihar Govt, (RS.)	A/C Name	Account Number	IFSC Code	Bank Name & Branch
1	21-2202010010004	0004-31-04	4,60,37,550	Bihar Bal Bhawan Kilkari	245001000000501	IOBA0002450	Indian Overseas Bank, Shiksha Bhawan
	Total		4,60,37,550				

5. उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार बाल भवन 'किलकारी' BTC Form-42 A में महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा नियमावली के नियम 341 के अनुरूप इसकी अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

6. स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' के द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के स्तर से उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का व्यय बिहार बाल भवन 'किलकारी' के कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

8. योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' द्वारा किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 पत्रांक 2561/वि० दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय की जाएगी।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. संचिका संख्या–06/वि० 09–263/2024 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 97/टि० पर दिनांक 28.10.2026 को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(ललन कुमार मंडल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 06/वि० 09–263/2024..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक:– 06/वि० 09–263/2024...144... पटना, दिनांक–03/11/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी'/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं लेखा शाखा–21 (दो प्रतियों में)/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/AC/DC कोषांग/I.T. Manager, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/11/26
उप सचिव, शिक्षा विभाग।